

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(532)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/91150

जयपुर, दिनांक : 23-5-18

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	श्री भैरूलाल तिवाडी	कनिष्ठ सहायक	परि. बेगू (चित्तौडगढ)	हुरडा (भीलवाडा)	रिक्त पद पर
2	श्री विजय सिंह	कनिष्ठ सहायक	परि. रेवदर (सिरोही)	परि. आबूरोड शहर (सिरोही)	रिक्त पद पर
3	श्री विजेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	परि. मकराना शहर	परि. कुचामनसिटी (नागौर)	रिक्त पद पर
4	श्री राजेन्द्र सिंह राणावत	कनिष्ठ सहायक	उप निदेशक बांसवाडा	परि. बांसवाडा शहर (बांसवाडा)	रिक्त पद पर
5	श्री सुरेश चन्द दैया	सहा. प्रशा. अधिकारी	पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में से	परि. सरदारशहर ग्रामीण (चुरू)	रिक्त पद पर
6	श्री राजूराम मीणा	सहा. प्रशा. अधिकारी	परि. सरदारशहर ग्रामीण (चुरू)	परि. नीम का थाना (सीकर)	रिक्त पद पर
7	श्री सुनील शर्मा	सहा. प्रशा. अधिकारी	परि. माण्डल (भीलवाडा)	परि. बेगू (चित्तौडगढ)	रिक्त पद पर
8	श्री लेखराज वर्मा	सहा. प्रशा. अधिकारी	परि. पीसांगन (अजमेर) (स्थानान्तरणाधीन)	परि. मसूदा (अजमेर)	श्री कमल किशोर के स्थान पर
9	श्री कमल किशोर	सहा. प्रशा. अधिकारी	परि. मसूदा (अजमेर) (स्थानान्तरणाधीन)	परि. पीसांगन (अजमेर)	श्री लेखराज वर्मा के स्थान पर


उक्त आदेश को कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(532)स्था / मंत्रा / डीपीसी / आईसीडीएस / 91151-177 जयपुर, दिनांक : 23-5-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
5. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
6. सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिको को तत्काल कार्यमुक्त कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिको को तत्काल कार्यमुक्त कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
8. लेखाधिकारी भुगतान निदेशालय जयपुर।
9. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित श्री
11. व्यक्तिगत पत्रावली
12. आदेश पत्रावली


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर